न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बालोतरा (कोर्ट केम्प असाड़ा)

पीठासीन अधिकारी : श्री शैलेश सुराणा, RAS (सचिव नगर सुधार न्यास बाड़मेर)

राजस्व वाद संख्या 201B .... /2021

2021
497

वादी :–

1. मांगाराम पुत्र सुरताराम
   जाति देवासी निवासी असाड़ा
   तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1.राजुराम पुत्र डूंगराराम
2.रतनाराम पुत्र वीरमाराम
   जतियान देवासी निवासी असाड़ा
3. राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. उभय पक्षकरान

निर्णय

दिनांक :– 14.11.2021

वादी के वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 1545/55 रकबा 45 बीघा 14 बिस्वा सरहद मौजा असाड़ा पटवार मण्डल असाड़ा तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। वादी नाबालिग होने से बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम खीमा पुत्र सुरता होने से राजस्व रेकर्ड में खीमा पुत्र सुरता नाम दर्ज किया गया । जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड आदि में वादी का सही नाम मांगाराम पुत्र सुरताराम दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी नें राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज खीमा पुत्र सुरता के स्थान पर सही नाम मांगाराम पुत्र सुरताराम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम खीमा पुत्र सुरता के स्थान मांगाराम पुत्र सुरताराम दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच सहायक प्रभारी अधिकारी तहसीलदार पचपदरा से करवाई गई, उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया, बाद अवलोकन पाया कि वादी द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, आदि में मांगाराम पुत्र सुरताराम दर्ज है, [illegible] तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट मय मौका फर्द के अवलोकन से स्पष्ट [illegible] नाम दर्ज करते समय बचपन का नाम खीमा पुत्र सुरता दर्ज किया गया है जबकि वादी का सही [illegible] पुत्र सुरताराम है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं हो[illegible] है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:15:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मजमे आम में की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर मौजा असाड़ा के खेत खसरा नं. 1545/55 रकबा 45 बीघा 14 बिस्वा वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम खीमा पुत्र सुरता के स्थान पर मांगाराम पुत्र सुरताराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2021 को शिविर असाड़ा में मजमें आम में सुनाया गया।

14.11.21

(शैलेश सुराणा RAS)
(सचिव नगर सुधार न्यास, बाड़मेर)
प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा

सहायक कलेक्टर (SDO) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:15:48 IST
Reason: SelfAttested